

Registered Office:

National Capital Region Planning Board, Core-IV B, First Floor, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi 110003 Phone No.-011-24642285 CIN NO. U60200DL2013GOI256716 Annual Report 2013-2014



NATIONAL CAPITAL REGION TRANSPORT CORPORATION LIMITED

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड

Printed & Designing by: **SANGAM PRINTER & PROVIDER**Bawana, Delhi-110039 M: 9811131484, 9891366207

विषय सूची

निदेशक बोर्ड 3 निदेशकों का रिपोर्ट 5–17 वार्षिक लेखा 19–43 सांविधिक लेखा परीक्षक का रिपोर्ट 45–53 लेखा परीक्षक का रिपोर्ट 55–56

> सांविधिक लेखा परीक्षक एम/एस सारिया गुप्ता — कम्पनी चार्टड अकांउटेंट नई दिल्ली

पंजीकृत कार्यालयः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना परिषद, कोर—Ш ह् ब

क्ष् कृट सेन्टर,

लोदी रोड, नई दिल्ली-221114

दूरभाष संख्याः 122: 35753396

सीआईएन नं. Į ЛР НТО

CONTENTS

Board of Directors	4
Director's Report	6-18
Annual Accounts	20-44
Auditor's Report	46-54
CAG Report/Comments	55-56

Statutory Auditors
M/s Saria Gupta &Co.
Chartered Accountants
New Delhi

Registered Office:

National Capital Region Transport Corporation Limited
National Capital Region Planning Board, Core-IV B, First Floor, India Habitat
Centre, Lodhi Road New Delhi-110003
Phone No.011-24642285
CIN NO. U60200DL2013GOI256716

1

	` \				\ (
TŦ	नद	ञ	क	6	गट

श्री शंकर अग्रवाल अध्यक्ष, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड एवं सचिव (शहरी विकास), शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन,

नई दिल्ली-221122

श्री डीएम सपोलिया निदेशक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड एवं

मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, नई

दिल्ली-221113

श्रीमती नैनी जयासीलन निदेशक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड एवं

सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, इंडिया

हैबिटेट सेन्टर, नई दिल्ली-221114

श्री सीके खेतान प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम

लिमिटेड एवं सयुक्त सचिव (संघीय क्षेत्र), शहरी विकास

मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-221122

श्री सीएस राजन निदेशक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड एवं

मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार

श्री प्रवीन कुमार गुप्ता निदेशक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड एवं

मुख्य सचिव, हरयाणा सरकार

श्री आलोक रंजन निदेशक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड एवं

मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार

श्री केके अग्रवाल निदेशक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड,

कार्यकारी निदेशक, निर्माणध्योजना, रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड

Board of Directors

Shri Shankar Aggarwal Chairman, NCRTC Ltd. & Secretary (UD), MoUD

Nirman Bhawan, New Delhi-110011.

Shri D.M. Spolia Director, NCRTC Ltd. & Chief Secretary,

GNCTD, New Delhi-110002.

Smt. Naini Jayaseelan Director, NCRTC Ltd. & Member Secretary,

National Capital Region Planning Board, India

Habitat Centre, New DELHI-110003.

Shri C.K. Khaitan Managing Director, NCRTC Ltd. & Joint

Secretary (UT), MoUD, Nirman Bhawan New

Delhi- 110011.

Sh. C. S. Rajan Director, NCRTC Ltd. & Chief Secretary,

Govt. of Rajasthan.

Shri Praveen Kumar Gupta Director NCRTC Ltd. & Chief Secretary, Govt.

Of Haryana.

Shri Alok Ranjan Director NCRTC Ltd., Chief Secretary, Govt. Of

Uttar Pradesh.

Shri K.K. Aggarwal Director NCRTC Ltd., Executive Director,

Works/Planning, Ministry of Railways, Railway

Board.

निदेशकों की रिपोर्ट

शेयरधारक

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड

आपके निदेशकों को 42 मार्च, 3125 को समाप्त अवधी के लिए पहली वार्षिक रिपोर्ट एवं निगम के लेखा परिक्षित लेखा विवरण प्रस्तुत करने में खुशी हो रही है।

वित्तिय प्रदर्शन

आपके निगम को अभी भी व्यापार शुरु करना है। इसके 42 मार्च, 3125 को समाप्त अवधी के लिए वित्तिय निष्पादन निम्नानुसार है:—

राशि (रुपया लाखों में)

ण रू रू 75.96
व्यय
78.56
(अनुपातिक पूर्व समावेश व्यय सिहत)

(3.72)

यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि आय निगम के संचालन से नहीं वरन अधिशेष धन के निवेश पर ब्याज से है।

इसके अलावा कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में पूर्व समावेश के सभी व्यय को लिखा जा रहा है, इसीलिए आय के मामले में लेखा घाटे को भी दर्शाता है। आयकर के प्रयोजन के लिए पूर्व समावेश व्यय का अनुपात लिखा जा सकता है और उपरोक्त तरीके से गणना कर लाभ का पता चलता है। सदस्य तदनुसार विचार कर सकते हैं।

पूर्जी की संरचना

समीक्षाधीन अवधी के दौरान, निगम 211 करोड़ रुपये की अधिकृत पूँजी को 211 रुपये के 211 वै11 इक्वीटी शेयर में विभाजित कर निगमित किया गया था। निगम ने

DIRECTORS' REPORT

To

The Shareholders National Capital Region Transport Corporation Limited

Your Directors have pleasure in presenting the First Annual Report and the Audited Statement of Accounts of the Corporation for the period ended 31st March, 2014.

FINANCIAL PERFORMANCE

Your Corporation is yet to Commence Business. Its financial performance for the period ended 31st March 2014 is as under:

	Amount (Rs. in lakhs)
Income from Interest on Fixed Deposit	64.85
Expenditure (including proportionate pre incorporation expenses)	67.45
Profit before Tax	(2.61)

It is pertinent to mention here that the income is from interest on investment of surplus funds and not from operations of the Corporation.

Furthermore In terms of provisions of Companies Act entire pre-incorporation expenses are to be written off, hence accounts denotes a loss in terms of income. For Income Tax purpose, a proportion of pre-incorporation expenses can be written off and calculation for same reveals profits as aforesaid. Members may consider same accordingly.

CAPITAL STRUCTURE

During the period under review, the Corporation was incorporated with an authorized capital of Rs.100 crore divided into 1,00,00,000 Equity Shares of Rs.100/- each. The Corporation was incorporated with an initial subscribed capital of Rs. 5.50 Lakhs i.e 5500 equity shares of Rs. 1000/- each. MoR is yet to tender its share of Subscription money. The Shareholding Pattern of the Corporation and the subscription amount received and the amount due as on 31.03.2014 is as under:

प्रारंभिक रुप से ली गई सदस्यता की 6.61 लाख रुपये को शामिल किया था जैसे 211 रुपये की 6611 इक्वीटी शेयर। अपने शेयर की सदस्यता राशि निविदा के लिए अभी तक और भी है। निगम का शेयर होल्डिंग पैटर्न एवं प्रप्त सदस्यता राशि और 42 मार्च, 3125 तक बकाया राशि निम्नानुसार है:—

(राशि लाख रुपयों में)

प्रतिशत कुल राशि प्राप्त राशि बकाया राशि

केन्भ सरकार

शहरी विकास मंत्रालय 33.61 3361.11 2861.11 611.11

रेल मंत्रालय 33.61 3361.11 – 3361.11

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना 6.11 611.11 :

बोर्ड

राज्य सरकार

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 23.61 2361.11 2361.11 -

हरियाणा 23.61 2361.11 2361.11 -

राजस्थान 23.61 2361.11 2361.11 -

दिल्ली 23.61 2361.11 2361.11 -

लाभांश

जैसा कि निगम को अभी भी व्यापार शुरु करना है, वर्ष 3124: 3125 को लिए किसी भी प्रकार की लाभांश की सिफारिश नहीं की गई है।

सामान्य आरक्षित विनियोग

_

(Amount Rs. in lakhs)

	%	Total Am ount	Amount Received	Amount Due
Central Government				
Ministry of Urban Development Ministry of Railways National Capital Region Planning Board Board	22.50 22.50 5.00	2250.00 2250.00 500.00	1750.00 - 500.00	500.00 2250.00 -
State Governments				
National Capital Territory of Delhi	12.50	1250.00	1250.00	-
Haryana Rajasthan Uttar Pradesh	12.50 12.50 12.50	1250.00 1250.00 1250.00	1250.00 1250.00 1250.00	- - -

DIVIDEND

As the Corporation is yet to Commence Business, no dividend is recommended for the year 2013-14.

APPROPRIATION TO GENERAL RESERVE

As the Corporation is yet to Commence Business, NIL amount is recommended for transfer to General Reserve for the year 2013-14.

STATUS OF THE PROJECT

Your Board is pursuing the matter pertaining to initial preliminary work related to RRTs and are to state that draft of DPR's stands received for Delhi Panipat (date of receiving 28.11.2014) and Delhi Meerut (date of receiving 3.12.2014) RRT's from respective consultants. Presently your Company has no technical strength so with a view to augment its resources it was considered prudent to send draft of DPR's to DMRC for technical

जैसा कि निगम को अभी भी व्यापार शुरु करना है, वर्ष 3124: 3125 के लिए सामान्य आरक्षित हस्तांतरण की सिफारिश शून्य राशि की है।

परियोजना की स्थिति

यह उम्मीद की जाति है कि GĨĪÅ ु ६ कृ
माना जाएगा। जो मूल रुप से 25 नम्बर, 3125 को निर्धारित किया गया था और
पूर्निर्धारित कर 29 दिसम्बर, 3125 लिया गया था।

व्यापार न्माणपत्र की शुरूआत

निगम को कम्पनी अधिनियम 2:67 के अर्न्तगत निगमित किया गया था और कम्पनी अधिनियम 2:67 के धारा 25: के प्रावधानों के अनुसार, कम्पनी अधिनियम 3124 के धारा 22 के साथ पढ़ा जाए (आवश्यक सीमा के लिए) कम्पनी रिजस्ट्रार से व्यापार प्रमाणपत्र की शुरुआत प्राप्त करने के बाद ही व्यापार की घोषणा कर सकेगा। जबिक रेल मंत्रालय के प्रतिनिधियों को छोड़कर ज्ञापन के सभी ग्राहक उन लोगों का शेष राशि का भुगतान किया है। निगम रेल मंत्रालय से सदस्यता राशि के बकाये को ध्यान में रखते हुए व्यापार प्रमाणपत्र कि शुरुआत करने के लिए लागू नहीं किया जा सका।

सावधि जमा

निगम ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान न तो किसी साविध जमा को आमंत्रित किया है न ही स्वीकार किया है। evaluation purpose and the issues raised, if any, by DMRC shall thereafter be apprised to respective consultant for incorporating same in draft DPR's. The issue of DMRC being nominated as Consultant is also being considered whereby the issue as aforesaid and to be arising at a lateral stage can be taken up instantly.

It is expected that the implementation of RRT's shall assume momentum after meeting of Secretaries which was originally scheduled to be held on 14th November, 2014 and rescheduled for 18th December, 2014 takes place.

CERTIFICATE OF COMMENCEMENT OF BUSINESS

The Corporation was incorporated under the Companies Act, 1956 and as per the provisions of Section 149 of the Companies Act, 1956 read with Section 11 of the Companies Act, 2013 (to the extent applicable) it could commence business only after obtaining Commencement of Business Certificate from the Registrar of Companies. While all the Subscriber to the Memorandum except Ministry of Railways' representative paid the amount due from them. Considering arrear in Subscription Money from MoR the Corporation could not apply for Commencement of Business Certificate.

FIXED DEPOSITS

The Corporation has neither invited nor accepted any Fixed Deposits during the period under review.

BUY-BACK OF SHARES

The Corporation has not resorted to any buy-back of shares during the period under review and as such there is nothing to report, as required under Section 217(2B) of the Companies Act, 1956 and applicable provisions of Companies Act, 2013 (to the extent applicable).

PERSONNEL AND HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

The Corporation did not have any employee during the period year under review. However, during the current financial year 2014-15 the services of a part time consultant has been availed for day to day routine administrative matters of the Corporation.

AUDITORS

M/s Saria Gupta and Co., Chartered Accountants, New Delhi have been appointed by the Office of the Comptroller & Auditor General of India as Statutory Auditors of the Corporation for the financial year 2013-14 and 2014-15. The remuneration fixed by the Corporation for

शेयरों की पूर्नखरीद

निगम ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान किसी भी शेयरों की पूर्नखरीद का सहारा नहीं लिया है और कम्पनी अधिनियम 2: 67 के धारा 328 (3K ६ ो ६ 9 अधिनियम 3124 के लागू प्रावधानों (आवश्यक सीमा के लिए) में ऐसा कुछ भी रिपोर्ट करने के लिए नहीं है।

कार्मिक एवं मानव संसाधन प्रबन्धन

निगम के पास समीक्षाधीन अवधि के दौरान कोई भी कर्मचारी नहीं था। इसलिए 3125: 26 के चालू वित्त वर्ष के दौरान अंशकालिक सलाहकार की सेवाओं को निगम ने दैनिक प्रशासनिक मामलों के लिए मुहैया कराया है।

लेखा परीक्षक

एमध्एस सरिया गुप्ता — कम्पनी, सनदी लेखाकार, नई दिल्ली को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय द्वारा वित्त वर्ष 3124: 25 और 3125: 26 के लिए निगम के सांविधिक लेखा परीक्षक के रुप में नियुक्त किया गया है। वित्त वर्ष 3124: 3125 के लिए निगम द्वारा उनके लिए 31वी 11 रु. के साथ साथ लागू सेवा कर का पारिश्रमिक निर्धारित किया है।

यदि आवश्यक हो तो प्रबन्धन लेखा परीक्षक के रिपोर्ट पर टिप्पणी का जबाब देता है। जिसे निदेशक के रिपोर्ट में परिशिष्ट के रुप में संलग्न किया जाएगा।

जैसी भी स्थिति हो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी को भी निदेशक के रिपोर्ट के परिशिष्ट के रुप में संलग्न किया जाएगा।

निदेशक बोर्ड लेखा परीक्षक द्वारा दिये गए महत्त्वपूर्ण सेवा के लिए अपना लिखित रुप में हार्दिक धन्यवाद पेश करता है।

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

(पर्यवेक्षक बोर्ड की टिप्पणी / जबाब स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर यदि है तो शामिल किया जाएगा।)

them for the financial year 2013-14 is Rs. 20,000/- (Rupees Twenty thousand only) plus Service Tax as applicable.

Management's replies to Comments in the Auditors' Report, if required, shall be enclosed as addendum to Directors' Report.

The Comments of CAG, as the case may be, shall also be enclosed as addendum to Directors' Report.

The Board of Directors places on record their sincere thanks for the valuable service rendered by the Auditors.

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

(Comments/Replies of the Board to Observations, if any, in the Independent Auditors' Report will be included)

ऊर्जा संरक्षण, प्रद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा आय और व्यय

बतौर निगम समीक्षाधीन अविध में व्यापार शुरु नहीं किया था, कम्पनी अधिनियम 2:67 के धारा 328 2 रू – ' में ब्यौरे का खुलासा) कम्पनी नियम 2:99 के साथ शून्य पढ़ा जाए और फलस्वरुप इसे प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

विदेशी मुभा आय और व्यय

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विदेशी मु[ा का आय और व्यय शून्य था।

कर्मचारियों का विवरण

समीक्षाधीन वर्ष में, आवश्यक कर्मचारियों की श्रेणी में आने वाली निगम में कम्पनी अधिनियम 2: 67 के धारा 328 3 क 2: 86 के साथ वहाँ यथासंशोधित कोई भी कर्मचारी (कर्मचारियों का विवरण) नहीं पढ़ा गया था।

निदेशकों की जिम्मेदारी का विवरण

कम्पनी अधिनियम (संशोधित) **3111** के धारा **328** (3. ण अपका निदेशक यहाँ निम्न रिपोर्ट करता है:-

वार्षिक लेखा की तैयारी में, लागू लेखा मानक का पालन किया गया है। निगम द्वारा अपनाये गये लेखा नीतियों को सतत पालन किया है जिसे वित्त वर्ष के अंत में उस अवधि के लिए निगम के लाभ और हानि को राज्य के मामलों की उचित और विवेकपूर्ण, सच्ची और निष्पक्ष विचार देता है। निगम की परिसम्पतियों की सुरक्षित रखवाली एवं धोखधड़ी को रोकने और पता लगाने और अन्य अनियमितताओं के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लेखा रिकार्ड की रखरखाव के लिए उचित और प्रयाप्त ध्यान दिया गया है। वार्षिक लेखा विकासमान कारोबार के आधार पर तैयार किया गया है।

निदेशक

निगम 32 अगस्त 3124 को निगमित किया था और निगम के समिति के अनुच्छेद में सबसे पहले निदेशकों के रुप में निम्नलिखित का उल्लेख किया गया था:-

ENERGY CONSERVATION, TECHNOLOGY ABSORPTION, FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO

As Corporation did not Commence business in the period under review, the particulars pursuant to Section 217(1)(e) of the Companies Act, 1956 read with the Companies (Disclosure of Particulars in the Report of Board of Directors) Rules, 1988 were NIL and consequently not required to be furnished.

FORIGN EXCHANGE EARNING AND OUTGO

The foreign exchange earnings and outgo during the year under review were Nil.

PARTICULARS OF EMPLOYEES

In the year under review, there was no employee in the Corporation falling under the category of employees required to be reported under Section 217 (2)(A) of the Companies Act, 1956, read with the Companies (Particulars of Employees) Rules, 1975, as amended from time to time.

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

In accordance with the provisions of Section 217 (2AA) of the Companies (Amendment)Act, 2000, your Directors hereby reports as under:-

that in preparation of the Annual Accounts, the applicable Accounting Standards have been followed.

that the Accounting Policies adopted by the Corporation are consistently followed that are reasonable and prudent to give true and fair view of the state of affairs of the Corporation at the end of financial year and of the Profit or Loss of the Corporation for that period.

that proper and sufficient care has been taken for maintenance of accounting records in accordance with the provisions of this Act for safe-guarding the assets of the Corporation and for preventing and detecting fraud and other irregularities.

that the Annual Accounts have been prepared on a going concern basis.

DIRECTORS

The Corporation was incorporated on 21st August, 2013 and First Directors as mentioned in Articles of Association of the Corporation were as follows:

- 1- . सुधिर कृष्णा, सचिव भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
- 3. रु टण्लम् ट ट ढ रूट
- 4. रूठ एक म् ढ रू ठ -मंत्रालय, नई दिल्ली
- 5. रू ठ रू ठ ् ठ रूठ दिल्ली।
- 6. रूठ र्रू ठ .रा.क्षे.दि.स., दिल्ली
- 8. ण ठ ∕क ठ क. ठ. गढ़।
- 9. रूट ∕रू ट ट रू

विॉ। वर्ष के दौरान निदेशकों के बीच ऋार्षिक आम बैठक तकू निम्नलिखित परिवर्तन किये गये।

- 2. .कं. खेतान, संयुक्त सचिव (यूटी), Ì ŎĮ G प्रबंध निदेशक और उपाध्यक्ष श्री संजीव कुमार लोहिया, पूर्व ओएसडी (यूटी) एवं पदेन संयुक्त सचिव, Ì ŎĮ G के रूप में बोर्ड में शामिल हो गए।
- 3. ट रू गए।
- 4. ठ रू ठो ŎĮ G बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री सी.के. खेतान, संयुक्त सचिव (यूटी), Ì oUD में शामिल हो गए ।
- **5**. ण ठ रू रूढ ठ —
- 6. ण ठ /फ ठ फ. ण्फ्र-कुमार चौधरी, मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार में शामिल हो गए।
- 7. श्रीवास्तव, मुख्य सचिव, ĠÍ Fİ G ो ख मुख्य सचिव, ĠÍ Fİ G में शामिल हो गए ।
- 8. .कं. खेतान, संयुक्त सचिव (यूटी), Ì ŎĮ G बोर्ड उपाध्यक्ष श्री डी दिप्तिविलासा, पूर्व अतिरिक्त सचिव (यूडी), Ì ŎĮ G में शामिल हो गए।
- 9. /ट /रू , हरियाणा सरकार ने बोर्ड उपाध्यक्ष श्री एस चौधरी, मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार में शामिल हो गए। इसके अलावा श्री परवीन कुमार गुप्ता हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव, के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किये गये हैं और वर्तमान में वह इस तरह से कार्य कर रहे हैं।

- 1. Dr. Sudhir Krishna, Secretary to the Government of India, Ministry of Urban Development, New Delhi.
- 2. Shri Arunendra Kumar, Chairman, Railway Board, Ministry of Railways, New Delhi.
- 3. Shri Sanjeev Kumar Lohia, OSD(UT)&Ex-Officio Joint Secretary, Ministry of Urban Development, New Delhi.
- 4. Smt. Naini Jayaseelan, Member Secretary, NCRPB, Ministry of Urban Development, New Delhi.
- 5. Shri Deepak Mohan Spolia, Chief Secretary, GNCTD, Delhi.
- 6. Shri Jawed Usmani, Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh, Lucknow.
- 7. Shri P.K. Chaudhery, Chief Secretary, Government of Haryana, Chandigarh.
- 8. Shri C.K. Mathew, Chief Secretary, Government of Rajasthan, Jaipur.

The following changes among the Directors took place during the financial year (upto the date of Annual general Meeting).

- 1. Shri C.K. Khaitan, Joint Secretary (UT), MoUD joined the Board as Managing Director vice Shri Sanjeev Kumar Lohia, former OSD(UT)& Ex-Officio Joint Secretary, MoUD.
- 2. Shri Surendra Kumar Sharma, retired Additional Member, Railway Board joined the Board .
- 3. Shri D. Diptivilasa, Additional Secretary (UD), MoUD joined the Board vice Shri C.K. Khaitan, Joint Secretary (UT), MoUD.
- 4. Shri Subodh Kumar Jain, Member (Engineering), Railway Board joined the Board.
- 5. Shri S.C. Choudhary, Chief Secretary, Government of Haryana joined the Board vice Shri Pardeep Kumar Chaudhery, Chief Secretary, Government of Haryana.
- 6. Shri S.K. Srivastava, Chief Secretary, GNCTD joined the Board vice Shri D.M. Spolia, Chief Secretary, GNCTD.
- 7. Shri C.K. Khaitan, Joint Secretary (UT), MoUD joined the Board vice Shri D. Diptivilasa, former Additional Secretary (UD), MoUD.
- 8. Smt. Shakuntla Jakhu, Chief Secretary, Government of Haryana joined the Board vice Shri S.C. Choudhary, Chief Secretary, Government of Haryana. Further Mr. Parveen Kumar Gupta has been appointed to act as Chief Secretary, Government of Haryana and presently he is acting as such.

- −कर अग्रवाल, सचिव (यूडी), Ì ŎĮ G बोर्ड उपाध्यक्ष डॉ सुधीर कृष्णा, सचिव (यूडी), Ì ŎĮ G में शामिल हो गए।
- .एम. स्पोलिया, मुख्य सचिव, **ĠÍ FİG** बोर्ड उपाध्यक्ष श्री एस.के. श्रीवास्तव, 21. मुख्य सचिव, ĠÍ FİG में शामिल हो गए ।
- .के. अग्रवाल, कार्यकारी निदेशक, निर्माण एवं योजना, रेलवे बोर्ड के बोर्ड 22. उपाध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य (अभियंत्रिकी), रेलवे बोर्ड में शामिल हो गए। इसके अलावा श्री आलोक रंजन को उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्य सचिव के तौर पर कार्य करने के लिए नियक्त किया गया है और वर्तमान में वह इस रूप में काम कर रहे है और श्री राजीव महर्षि को राजस्थान सरकार में मुख्य सचिव के तौर पर कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है और वर्तमान में वह इस रूप में काम कर रहे

बोर्ड निगम के निर्माण में शहरी विकास मंत्रालय, रेल मंत्रालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, राष्ट्रीय राजधानी सरकार दिल्ली सरकार और हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकार लिये गये पहल के लिए अपनी गभीर भावना को व्यक्त करता है। बोर्ड दिल्ली मेट्रो रेल कोर्पोरेशन लिमिटेड का भी निगम के निर्माण में उनके दिये गये सहयोग और सहायता के लिए हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता है।

निदेशक भी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, लेखा परीक्षक बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य और निगम के सांवधिक लेखा परीक्षक का उनके उपयोगी सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है।

के लिए और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड के निदेशक बोर्ड की ओर से

एसडी / – (शंकर अग्रवाल) अध्यक्ष

दिनांक: 22.23.3125

स्थान : नई दिल्ली

- Sd/-(Shankar Aggarwal) Chairman
 - Date: 11.12.2014 Place: New Delhi

- 9. Shri Shankar Aggarwal, Secretary (UD), MoUD joined the Board vice Dr. Sudhir Krishna, Secretary (UD), MoUD.
- 10. Shri D.M. Spolia, Chief Secretary, GNCTD joined the Board vice Shri S.K. Srivastava, Chief Secretary, GNCTD.
- 11. Shri K.K. Aggarwal, Executive Director, Works/Planning, Railway Board joined the Board vice Shri Subodh Kumar Jain, Member (Engineering), Railway Board.

Further Mr. Alok Ranjan has been appointed to act as Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh and presently he is acting as such and Mr. Raijv Maharishi has been appointed to act as Chief Secretary, Government of Rajasthan and presently he is acting as such.

ACKNOWLEDGEMENT

The Board expresses its deep sense of appreciation to the Ministry of Urban Development, Ministry of Railways, National Capital Region Planning Board, Government of National Capital Territory of Delhi and Government of States of Haryana, Uttar Pradesh and Rajasthan for taking initiative in formation of the Corporation. The Board also expresses sincere thanks to Delhi Metro Rail Corporation Ltd. for their cooperation and assistance given in the formation of the Corporation.

The Directors are also grateful to the Comptroller & Auditor General of India, the Chairman and Member of the Audit Board and Statutory Auditors of the Corporation for their valued cooperation.

For and on behalf of the Board of Directors of National Capital Region Transport Corporation Ltd.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड 42 मार्च 3125 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तिय स्थिति का विवरण (रुपये में राशि) 42: 14: 3125 तक ईक्वीटी और देयता अंशधारक का कोष 661ਗ11.11 शेयर पूंजी भंडार और अधिशेष (291513.11 47: 6: 9.11 शेयर आवेदन की राशि का 66: ਰ686 ਹੈ 11.11 लंबित आबंटन 26692477.11 अन्चिलत देयतायें वर्तमान देयतायें अन्य वर्तमान देयतायें 33 5 8 3 . 1 1 8 672-659-547.11 कुल परिसम्पतियाँ अप्रचलित वर्तमान परिसम्पतियाँ आस्थगित कर की परिसम्पतियाँ 2ਰ73ਰ 41.11 वर्तमान परिसम्पतियाँ 295 273 ਰ 32.11 वर्तमान निवेश 485 ਫ 61ਰੀ 11.11 नकदी और बैंक में जमा राशि अल्पावधि ऋण और अग्रिम 21 8845596.11

कुल

66: \$97517.11

672659547.11

National Jupital I	Region Transport	Corporation Limited
Balance sheet for the FY ended on 31	st March, 2014	
		(Amount in Rs.)
	Notes	As at 31.03.2014
EQUITY AND LIABILITIES		
<u>Shareholders' Funds</u>		
Share Capital	3	550,000.00
Reserves and Surplus	4	(180,402.00)
		369,598.00
Share Application Money Pending	5	559,575,000.00
Allotment		
Non Current Liabilities	6	1,581,366.00
Current Liabilities		
Other Current Liabilities	7	22,472.00
Total		561,548,436.00
<u>ASSETS</u>		
Non Current Assets		
Deferred Tax Assets		1,662,030.00
Current Assets		
Current Investments	8	184,162,921.00
Cash and Bank Balances	9	374,950,000.00
Short Term Loans and Advances	10	773,485.00
		559,886,406.00

इस वित्तीय विवरण के अभिन्न हिस्सा का 2 से 23 नोट्स है।

नोट्स के साथ वित्तिय विवरण का अभिन्न हिस्सा है।

हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में यहाँ तक तारीख भी संलग्न है।

सारिया गुप्ता – कम्पनी सनदी लेखाकार

एफआर नं. **114279**S

सुमित गुप्ता सहभागी

स. सं.

दिनांकः 22.23.3125

स्थानः नई दिल्ली

के लिए और बोर्ड की ओर से

सीके खेतान

डीआईएनः 14282262

प्रबन्ध निदेशक

नैनी जयासीलन

डीआईएनः 12673623

निदेशक

Notes 1 to 12 form an integral part of these financial statements

The accompanying Notes are an integral part of the financial statements

In terms of our Report of even date attached.

For SARIA GUPTA & COMPANY

For and on behalf of the Board

CHARTERED ACCOUNTANTS

F. R. NO.: 003618N

(SUMIT GUPTA)	C K Khaitan	Naini Jayaseelan
(PARTNER)	DIN: 03171151	DIN: 01562512
Date: 11.12.2014	(Managing Director)	(Director)

Place: New Delhi

31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले व	ार्ष के लिए लाभ और हानि : (रुपये में राशि)	का विवरण
	नोट	31-03-2014 तक
राजस्व		
संचालन से राजस्व	11	64,84,846-00
कुल राजस्व		64,84,846-00
लागत		
अन्य लागत	12	67,45,912-00
कुल लागत		67,45,912-00
आयकर पूर्व लाभ आयकर लागत		(2,61,066-00)
वर्तमान आयकर		15,81,366-00
आस्थगित आयकर		(16,62,030-00)
वर्ष भर के लिए लाभ / (हानि)		(1,80,402-00)
प्रति इक्विटी शेयर आय		
सारिया गुप्ता – कम्पनी सनदी लेखाकार		
एफआर नं. 003168N सुमित गुप्ता सहभागी स. सं. दिनांकः 11-12-2014 स्थानः नई दिल्ली		
के लिए और बोर्ड की ओर से		
_{सीके खेतान} डीआईएनः 03171151 प्रबन्ध निदेशक		
नैनी जयासीलन डीआईएनः 01562512 निदेशक		

National Cap	ital Region Transp	ort Corporation Limited
Statement of Profit	and Loss for the F	Y ended on 31st March, 2014 (Amount in Rs.)
	Notes	As at 31.03.2014
REVENUE Revenue from operations	11	64, 84,846.00
Total Revenue		64, 84,846.00
EXPENSES		
Other Expenses	12	67, 45,912.00
Total Expenses		67, 45,912.00
Profit before Tax Tax Expenses		(2, 61,066.00)
Current Tax Deferred Tax		15, 81,366.00 (16, 62,030.00)
Profit / (Loss) for the Year		(1, 80,402.00)
Earnings per equity share Basic		
For SARIA GUPTA & COMPANY CHARTERED ACCOUNTANTS F. R. NO. : 003618N		For and on behalf of the Board
(SUMIT GUPTA) (PARTNER) Date: 11.12.2014 Place: New Delhi	C K Khaita DIN: 0317 (Managing	1151 DIN: 01562512
	24	

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड

42 मार्च 3125 को समाप्त अवधि के लिए वित्तिय विवरण का नोट्स

42 मार्च, 3125 के बैलेंस शीट के अंश के निर्माण में संलग्न और उस तारीख को समाप्त हुए अवधि के लिए लाभ और हानि का विवरण —

- 2 . / ₹
- **2.2** 板 . 板
- (Ò वित्तिय विवरण परंपरागत लागत के परंपरा के तहत और भारत में प्रचलित लेखांकन मानक के अनुसार विकासमान कारोबार के आधार पर तैयार किया है।
- (के कम्पनी आमतौर पर लेखाविधि की व्यापारिक प्रणाली का अनुसरण करती है एवं आय के महत्त्वपूर्ण अंशों और अपचित आय और व्यय के आधार पर चिन्हित करता है।
- 2.3
 板

 板
 板
- 2.4 ₹ ∪

अचल सम्पतियों पर मूल्यहास नीचे लिखे दरों की नीति और आयकर नियम 2: 73 के निर्धारित तरीके पर प्रदान किया गया है।

- 2.5 क दृत है।
- 2.6
 板板
 .

 ए
 板板
 板板
 板板
 板板
 板板
- 2.7 − ₹₀
- 2.8 ण कास व्यय का प्रबंध

National Capital Region Transport Corporation Limited

Í ŎPŇŒPŎ POŇ ŅŌŌNŌŃÒNŌŒMPŇÖ ŇŌPŒŅŎŹ POŇ ŐŇŹÔŎŇ ÑŌŇÑŇ ĊĈst March, 2014

ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS ON $31^{\rm ST}$ MARCH, 2014 AND STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE PERIOD ENDED ON THAT DATE

1. ĬŀĠĺŀĞŀŦĖĺİĖFFĴĮĺİŀÍĠĨĴŀŀFŀĞĬ

BASIS OF PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS:

1.1

- (i) The financial statements are prepared under the historical cost convention and on the basis of going concern in accordance with the applicable Accounting Standards in India.
- (ii) The Company, generally follows the mercantile system of accounting and recognizes significant items of income and expenditure on accrual basis.

1.2 FIXED ASSETS:

Fixed Assets are stated at cost less depreciation.

1.3 METHOD OF DEPREICIATION

Depreciation on fixed assets has been provided on written down value method at the notes and in the manner prescribed as per Income Tax Rule, 1962.

1.4 VALUATION OF INVENTORIES

Inventories are valued at cost

1.5 CAPITALISATION OF EXPENSES

The Capital expenses are allocated to concerned capital assets.

1.6 VALUATION OF INVESTMENTS

The investment are stated at cost.

1.7 TREATMENT OF RESEARCH AND DEVELOPMENT EXPENDITURE

पूँजी की प्रकृति अनुसंधान और विकास व्यय पूँजी में परिणत करना है और उस राजस्व की प्रकृति वर्ष में पूँजी के लाभ और हानि के विवरण को आवेशित करता है। जिसमें इनको शामिल किया गया है।

2.9 · v रुर

नई परियोजनाओं और मौजूदा सुविधाओं का पर्याप्त विस्तार, पूँजी में परिणत व्यय के हालत में व्यवसायिक उत्पादन शुरू करने से पहले विशिष्ट ऋण पर ब्याज और वित्तिय लागत शामिल है।

2.: राज्य

सभी आस्थिगित लागत व्यय कम्पनी से लिए जाने वाली लाभ की अवधि में लाभ और हानि का विवरण समावेशित किया जाता है।

2.21 विदेशी मुद्राओं का रुपांतरण या अंतरण

सम्पति और देनदारियाँ बैलेंस शीट की तारिख को मौजूदा विनिमय दर में अंतरित किया जाता है।

2.22

- (Ò सेवानिवृति लाभ के संबंध में जैसे ग्रेच्यूटी, सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारियों को देय नगदीकरण आदि, देनदारी बीमांकन आधार पर प्रदान किया जाएगा।
- (के सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारियों को देय नगदीकरण भुगतान के समय स्वीकार होता है।
- 2.23 बैलेंस शीट के बाद की धटनाओं का प्रकटीकरण

बैलेंस शीट के बाद की सभी धटनाओं को कम्पनी के कार्य पर जैसा भी वास्तविक प्रभाव है, जहाँ भी आवश्यक है बताया गया है।

2.24 पूर्व अवधि के मदों का वर्णन

Research and development expenditure of capital nature are capitalized and those of revenue nature are charged to Statement of Profit & Loss in the year in which these are incurred.

1.8 EXPENDITURE DURING CONSTRUCTION PERIOD

In case of new projects and substantial expansion of existing facilities, expenditure capitalized includes interest and financial cost on specific loan prior to commencement of commercial production.

1.9 DEFERRED REVENUE EXPENDITURE

The deferred revenue expenditure are allocated to Statement of Profit & Loss in the Period of benefit accrued to the Company.

1.10 CONVERION OF TRANSLATION OF FOREIGN CURRENCIES

Assets and liabilities are translated at the exchange rate prevailing on the date of Balance sheet.

1.11 TREATMENT OF RETIREMENT BENEFITS

- (i) HŌ ØNŒÑNP ŎŅØNPŒÑÖ NŌP NNŌNNŒŒÔÑ Ġ ØMP ÒPĂI NWe Encashment etc. payable to the Employees at the time of retirement, liability will be provided on actuarial basis.
- (ii) I ÑNQÑ ÑŌŃMŒÖ ÑŌP benefit on retirement are recognized at the time of payment

1.12 DISCLOSURE OF EVENTS SUBSEQUENT TO THE BALANCE SHEET

The Major events subsequent to Balance sheet which have material effect on the working of the Company, have been disclosed wherever necessary.

1.13 TREATMENT OF PRIOR PERIOD ITEMS:

पूर्व अवधि से संम्बन्धित मदों के मूल्य में, ऋण यदि लाभ और हानि के विवरण के नामे में लिखा गया और जमा यदि लाभ और हानि के विवरण में जमा किया गया तो आय माना जाता है।

2.25 板板

सभी प्रारंभिक और पूर्व समावेशित व्यय वर्ष के दौरान अप्रत्यक्ष रुप से पूरी तरह से लिखा जा रहा है जिसमें भारतीय सनदी लेखांकन संस्थान द्वारा जारी अप्रत्यक्ष संपति के लिए एएस-37 द्वारा आवश्यकता अनुसार विस्तार किया जाता है।

2.26 ₹

सभी ज्ञात देयताएँ देयताओं को छोड़कर खातों में प्रदान किया जाता है जो आकिस्मिक प्रकृति की है, खाते में जिस उपयुक्त प्रकटीकरण को बनाया जाता है।

2.28

निगम वर्तमान सरोकार के आधार पर खाते को तैयार किया गया है और कम्पनी द्वार सभी लेखांकन नीतियों का निरन्तर पालन किया गया है।

3 /ाते पर टिप्पणियाँ

3.2 ₹

विस्तृत टिप्पणी तैयार करने के लिए आकस्कमिक देयताएस्र

कम्पनी 42 मार्च, 3125 को समाप्त हुए अवधि के दौरान आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के एफडीआर में 28ई94ई37ई6710 रु. का निवेश किया है और आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड से प्राप्त ब्याज प्रमाणपत्र से 75ई95ई9570 रु. की ब्याज से आय अर्जित की है। जबिक 38.12.3125 को 23.61 करोड़ रु की राशि के एफडीआर पर बैंक द्वारा : Æ प्रतिशत ब्याज की दर से दिया गया ब्याज 56 द 6 व 8 30 रु. है। जहाँ ब्याज की राशि 34 द 9 द 60

The net of items relating to prior period, if debit is debited to Statement of profit & loss Account if credit, credited to Statement of Profit & Loss and treated as Income.

1.14 TREATMENT OF PRELIMINARY EXPENSES:

The preliminary and pre-incorporation expenses being intangible is being written off completely during the year in which it is expended as required by AS – 26 for intangible assets issued by the ICAI.

1.15 TREATMENT OF CONTINGENT LIABLIITIES

Known liabilities are provided for in the accounts except liabilities that are of a contingent nature, in respect of which suitable disclosures are made in the accounts.

1.16 RECOGNITION OF INCOME AND EXPENDITURE

Items of income and expenditure are recognized on accrual basis.

1.17 GOING CONCERN

The Corporation has been preparing the accounts on going concern basis and all accounting policies are consistently followed by the Company.

2. NOTES ON ACCOUNTS

2.1 F ŎŌPÒŌŊÑŌP I ÒMNÒÔĐOŨCE

Contingent liabilities to the extent not provided for:

(a) İ OMP POÑ Company has made investment in FDR with ICICI Bank Limited during the period ended 31.03.2014 amounting to Rs. 17,83,26,560.00/- and has earned interest income e of Rs. 64,84,846/- as per the interest certificate received from the ICICI Bank limited. However on one of the FDR's made on 27.01.2014 amounting Rs. 12.50 crores having interest rate 9.1 % interest given by the Bank is Rs. 45,95,072/- whereas the amount of interest should have been Rs. 23,38,195/-. There exists a contingent liability to the extent of Rs. 22, 56,877/- in case ICICI Bank Limited reverses the interest as per the correct calculation.

चाहिए था। वहाँ आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के सही गणना के हिसाब से आकस्मिक देयताओं के अनुसार ब्याज परिवर्तित कर 3367\$9880 रु. बढ़ाया गया है।

- (इ) 78 द 1 त 990 रु. की राशि लाभ और हानि खाते में से प्रारंभिक व्यय में लिखा जाएगा जिसमें एमध्एस एसपीजे एंड कंपनी के कंपनी सचिव को कम्पनी के समावेशन के लिए व्यवसायिक शुल्क के तौर पर 61 द 110 रु. भुगतान करना शामिल है। जिसमें टीडीएस शामिल नहीं किया गया है। वहाँ आकि स्मिक देयता की सीमा 6 व 110 रु. दिया जाना है।
- 3.3 / 8 महीने 22 दिन की अवधि के निम्नलिखित अवधि जैसे 32.19.3124 से 42.14.3125 तक के लिए तैयार किया गया है। इस कम्पनी के पहले वर्ष के पिछले वर्ष का कोई आंकड़ा नहीं दिया गया है।
- 3.4 ाथिमिक व्यय के खाते में 277331410 रु रू कर की सम्पित में मान्यता दी है। इसके अनुसार बैलेंस शीट के सम्पित के पक्ष में आस्थिगित कर सम्पित की राशि 27731410 रु रू —
- 3.5 42 मार्च, 3125 के समाप्त वर्ष के दौरान 26 \$2 द4470 रू लिए प्रावधान किया गया है।

3.6 ६ रू ए म्दरू

के पंजीकरण के लिए 77वि 9द्3210 रु. की आरओसी शुल्क और कम्पनी की ओर से 76द3410 रु. विज्ञापन के लिए भुगतान किया है और 6 करोड़ रुपये अपनी सदस्यता के बदले में समायोजित किया है और कम्पनी के लिए 5द44द376710 रु. बकाये सदस्यता का भुगतान किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी), कंपनी की ओर से 3 प्रतिशत की उल्लिखित दर से विज्ञापन व्यय 76द3410 रु. पर टीडीएस की भी कटौती किया गया है।

- (b) That the preliminary expenses debited to the Profit and Loss amount Rs. 67, 30,688/- includes Rs. 50,000/- paid to M/s S P J & Co., Company Secretaries, being professional fees for incorporation of the Company on which no TDS has been deducted. There exists contingent liability to the extent of Rs. 5,000/- (10% of Rs., 50,000)
 - 2.2 The Statement of profit and loss has been prepared for the period of 7 months and 11 days following the date of incorporation of the Company i.e. from 21.08.2013 to 31.03.2014. No previous year figures are given as this is the first year of the Company.
 - 2.3 The Company has recognized deferred tax assets amounting Rs. 16, 62,030/- on account of Preliminary Expenses. Accordingly the deferred tax asset amounting Rs. 16, 62,030/- has been shown in the asset side of the Balance Sheet.
 - 2.4 Provision for income tax amounting Rs.15, 81,336/- has been made during the year ended 31.03.2014.
 - 2.5 That the National Capital Region Planning Board (NCRPB), one of the promoter of the Company has paid Rs. 66, 08,210 being the ROC fees for the registration of the Company and Rs. 65,230/- for advertisement on behalf of the Company and adjusted the same against its Subscription Amount of Rs. 5 crore and paid the balance subscription of Rs. 4, 33, 26,560/- to the Company. That NCRPB has also deducted TDS on Advertisement expenses of Rs. 65,230/- mentioned above @ 2 % on behalf of the Company.
 - 2.6 That Ministry of Railways, one of the Subscribers to the Memorandum of Association and Promoter of the company, has subscribed for 1250 shares of the Company out of the total 5500 shares issued during the year of Rs. 100/- each, However it has not paid the subscription amount of Rs. 1,25,000/- till date and the same is still receivable and shown as receivable in the balance sheet as on 31.03.2014

2-6 ढ रू ए वर्ष के दौरान 211 रु के जारी कूल 6611 शेयरों में से कम्पनी के 2361 शेयरों के लिए सदस्यता ली है। इसलिए अब तक 236व 110 रु. की सदस्यता राशि का भुगतान नहीं किया है और वह अभी भी प्राप्य है और 42.14.3125 के बैलेंस शीट में प्राप्य दर्शाया गया है। 3.8 σ σ σ पार्टी से सम्बन्धित पार्टि और सम्बन्ध मुख्य प्रबंधक कर्मी श्री प्रदीप कुमार चौधरी, निदेशक Ò श्री सुधीर कृष्णा, निदेशक सुश्री जयासीलन, निदेशक श्री दीपक मोहन स्पोलिया, निदेशक Ò श्री चेरुवेट्टोलिल कोचूकोशी मैथ्यू, निदेशक संजीव कुमार लोहिया Q श्री जावेद उस्मानी, निदेशक ΟÒ श्री अरुनेन्द्र कुमार, निदेशक : 14: 3125 ण्कृत शेयर प्रत्येक 211 रु. की इक्वीटी शेयर 2वीं 1वीं 1वीं 1 ਰੀ 1ਰੀ 1ਰੀ 1ਰੀ 11 जोड़े: वर्ष के दौरान वृद्धि हुई (प्रत्येक 211 रु. की इक्वीटी शेयर) प्रत्येक 211 रु. की इक्वीटी शेयर 2वीं 1वीं 1वीं 1 ਰੀ 1ਰੀ 1ਰੀ 1ਰੀ 11 निर्गमित, अभिदत्ता और आंशिक भ्गतान किया हुआ 33

2.7 RELATED PARTY DISLCOSURE Name of the Related Parties and Personnel

i) ĦÑŘÌ MŌMNÑÁ ÔMÔÑÑÁ ĐĐŌ ŌÑÕ

a) Ì ØBĨ ØMŇÑÑŐ ĦÞÖ MØFOMÞŇOMØŘÆG ÒØÑŃÞŎØ

b) Ì ỚBĬÞŇOỞ HỚO ĐŌNATG Ở ÑNPỐ

c) Ì CBÍ MÔĐÒ ÓM ŘI MOŠÍNŐ MŪ 4EG ÒЎNÍ Ý PÖØ

d) Ì ØBGÑÑŐMÔÌ ŎOMŌĬŐŎÕDMÆGÖDÑŃPŎØ

e) Ì ỚBFOÑÓ ĐỘN PHỐ TỔ THỐN ĐỘ ĐỘC ĐỂ Ì MẠC NÃ ĐỘ TỔ MỘ TỔ ĐỘN MỘ Ở

f) Ì ØBĬ MŌŌÑÑQ Kumar Lohia, Director

g) Ì ỚBĤMR ÑŇ J CIÐ MŌÒÆG ऍĐÑŃPŎỚ

h) Ì ØBĖ ØÞ ŌNŌNØMHÞÖ MØÆG ŒNNPŎØ

31.03.2014

Number Amount

3. SHARE CAPITAL

(A) Authorised Share Capital

 Equity Shares of Rs. 100/- each
 1,00,00,000
 1,00,00,00,000

 Add: increased during the year (equity Shares of Rs.
 --

 100 each)
 Equity Shares of Rs. 100 each
 1,00,00,000
 1,00,00,00,000

प्रत्येक 211 रु. की इक्वीटी शेयर	6 -6 11		6 ਰ61ਰੀ11.11
कुल निर्गमित, अभिदत्त और पूरा भुग किया हुआ शेयर	ातान 6 त 611		6 ਰ61ਗ਼ੀ11.11
42: 14: 3125			
∕रू राशि ण —रु	_		_
अवधि के दौरान जारी किया हुआ	6 -6 11		6 ਰ61 ਗੈ 1 1
अवधि के अन्त में बकाया	6 - €11		6 ਰ61 ਗੈ 1 1
6 प्रतिशत शेयर से अधिक शेयर रर	बने वाले प्रत्येक शेय [ः]	र धारक द्वा	रा धारित शेयर
42 : 14: 3125			
शेयर धारक का नाम	संख्या	रा	शि
शहरी विकास मंत्रालय के माध्यम	सं		
श्री सुधीर कृष्णा	2 කි 61	2 ਫ਼	86ਗ 11
श्री संजीव कुमार लोहिया	361	30	6ਗੋ11
रेल मंत्रालय के माध्यम से			
श्री अरुनेन्द्र कुमार	2 ම 61	2	ಪ 6ಡೆ 11
राष्टीय राजधानी क्षेत्र योजना बो	र्ड के माध्यम स		
	35		

ĂĘ Å Issued, Subs cribed and Partial Paid up		
Equity Shares of Rs. 100/- each	5,500	5,50,000
Total Issued, Subscribed and fully paid up share capi	tal 5,500	5,50,000
	3	31.03.2014
	Number	Amount
At the beginning of the period issued during the	5,500	5, 50,000
Period		
Outstanding at the end of the period	5,500	5, 50,000
B) Shares held by each shareholder holding		
More than 5 % shares		
Name of Shareholder	31.03.2014	
	Number	Amount
Ministry of Urban Development through		
Sh. Sudhir Krishna	1,250	1, 25,000
Sh. Sanje ev Kumar Lohia	250	25,000
Ministry of Railways through		
Sh. Arunendra Kumar	1,250	1, 25,000
National Capital Region Planning Board through		
Ms. Naini Jayaseelan	1,250	1, 25,000
State Govt.		
36	3	

हरियाणा सरकार के माध्यम से श्री प्रदीप कुमार चौधरी 736 73 राजस्थान सरकार के माध्यम से	6ਗ ਂ 11
श्री दीपक मोहन स्पोलिया 736 73 हरियाणा सरकार के माध्यम से श्री प्रदीप कुमार चौधरी 736 73 राजस्थान सरकार के माध्यम से श्री सी के मैथ्यू 736 73	
हरियाणा सरकार के माध्यम से श्री प्रदीप कुमार चौधरी 736 73 राजस्थान सरकार के माध्यम से श्री सी के मैथ्यू 736 73	
श्री प्रदीप कुमार चौधरी 736 73 राजस्थान सरकार के माधयम से श्री सी के मैथ्यू 736 73	3-611
राजस्थान सरकार के माधयम से श्री सी के मैथ्यू 736 73	
श्री सी के मैथ्यू 736 73	3-611
जॉार - देश सरकार के माध्यम से	3-611
श्री सदा कान्त 736 73	6 11
Total 6 6611 6 66	81ਰੀ 11
5 τ υ υ-τ 42: 14: 3125	
लाभ और हानि के विवरण में अधिशेष	
आखिरी वित्तिय विवरणों के अनुसार शेष राशि जोड़ेः वर्ष के लिए लाभ (23915	513.11
लाभ और हानि के विवरण में शुद्ध अधिशेष (239155	513.11
प्रतिभूति प्रीमियम खाता	

Govt. of NCT of Delhi through		
Sh. Deepak Mohan Spolia	625	62,500
Govt. of Haryana through		
Sh. Pardeep Kumar Chaudhary	625	62,500
Govt. of Rajasthan through		
Sh. C K Mathew	625	62,500
Govt. of U P through		
Sh. Sada Kant	625	62,500
TOTAL	5,500	5, 50,000
		31.03.2014
4. <u>RESERVES AND SURPLUS</u>		
Surplus in the Statement of Profit and Loss		
Balance as per last financial statements		
Add: Profit for the year		(1, 80,402.00)
Net Surplus in the statement of profit and loss		(1,80,402.00)
Securities Premium Account		
TOTAL RESERVES AND SURPLUS		(1, 80,402.00)
TO TAL RESERVES AND SORI LOS		
TOTAL RESERVES AND SOM LOS		
38		

कुल आरक्षित निधि और अधिशेष	(2\$1\$13.11			
6 42.14.3125 के आबंटन के लिए शेयर आवेदन की लंबित राशि				
शहरी विकास मंत्रालय	: 9ਰ61ਰੀ 11.11			
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	5ਫ : ਫ86ਫੀ 11.11			
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	235: 48611.11			
₹ .	235: 48611.11			
	235: 48611.11			
_	235: 48611.11			
	66ಕ 6&6ಕೆ 11.11			
7 :				
₹ . 0	26 -9 2 4 77.11			
	26 3 92 477.1 1			
8 रू रू				
₹ / ∓ –	33583.11			
	33-583.11			
9 – रू –				
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के एफडीआर	28 -9 4-37-671.11			
रू	69 ब 7 ब 72.11			
	29552ਰ73ਰ 32.11			
:				
39				

5. SHARE APPLICATION MONEY PENDING FOR ALLOTMENT				
AS ON 31.03.2014				
1.03.2014	Amount in Rs.			
inistry of Urban Development	98, 50,000.00			
ational Capital Region Planning Board	4, 99, 75,000.00 12,49, 37,500.00			
ovt. of NCT of Delhi				
ovt. of Haryana	12,49,37,500.00			
ovt. of Rajasthan	12,49,37,500.00			
ovt. of UP	12,49,37,500.00			
DTAL	55, 95, 75,000.00			
Non Current Liabilities				
rovision for Income Tax	15, 81,366.00			
	15,81,366.00			
Î POÑŐFÞŐŐÑŌPIÒMNÒÖDPÒŇCE				
Audit Fees Payable	22,472.00			
	22,472.00			
F Þ ÁÐNÖP HŌQÑORÖ NÖPCE				
F Þ ÞÍÐNÖP HÖQNŒÖ NÖPŒ Trade Investments				
	17,83,26,560.00			

40

18,41,62,921.00

नकदी और नकदी के समतुल्य हाथ में नकदी

आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के चालू खाते में 485: र्की र्वी 11.11 485: र्की र्वी 11.11

21 朝 ए 碑 .

रेल मंत्रालय से प्राप्य शेयर सदस्यता राशि 2ढ36व111.11

आय कर— एफडीआर पर टीडीएस759596.11884596.11

22 42: 14: 3125

,

रू

23

/ [‡] 33\583.11

प्राथमिक लागत 78 ਡ 4 5 5 1. 1 1

78556ਰ 23.11

2 F MOĐ MŌŇ Ę MŌÔĘ MÕMŌŃÑŒ

Cash and Cash Equivalents

Cash in Hand

Balances with Bank

- HŌ Ńurrent account with ICICI Bank Limited

37,49,50,000.00

37, 49, 50,000.00

3 Ĭ OŎŹPİ ÑŹÖ ÖĞMŌŒMŌŇĖ ŇQMŌŃÑŒ

Short Term

Share Subscription Money Receivable from Ministry of Railways
Income Tax - TD's on FDR

6, 48,485.00

7, 73,485.00

4 Ī ÑQÑŌÞÑŒ

Revenues from operations

FDR interest 64, 84,846.00

Revenue from operations (NET)

64, 84,846.00

5 Î POÑØĜŔŐÑŌŒĬŒ

Payment to Auditors 22,472.00
Prelininary Expenses 67, 23,440.00

67, 45,912.00

41

स् 4201403125 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान आवंटित शेयरों का विवरण

विवरण प्राप्त शेयर आवंटित शेयर स्थगित आबंटन की राशिप्राप्य सदस्यता का शेष राशि आवेदन

रेल मंत्रालय 236111 : 2-36-111

ष् रू ण 6-11-11-111 36111 5-::-86-111 :

ष्ठ रू **6-11-11-111 36111 5-::-86-111** : क्षेत्र दिल्ली सरकार

₹ 6-11-11-111 36111 5-: : -86-111

राजस्थान सरकार 6-11-11-111 36111 5-::-86-111 : उत्तर प्रदेश सरकार 6-11-11-111 36111 5-::-86-111 :

कुल (रु.) 67-11-1111 661111 66-::-86-111 2-36-111 के लिए और बोर्ड की ओर से

सी के खेतान डीआईएन 14282262 प्रबन्ध निदेशक

नैनी जयासीलन डीआईएन 12673623 निदेशक DETAILS OF SHARE APPLICATION MONEY RECEIVED AND SHARES ALLOTTED DURING THE YEAR ENDED ON 31.03.2014

Particulars	Share Application Received	Shares Allotted	Balances Pending Allotment	Subscription Receivable
Ministry of Urban Development	1, 00, 00,000.00	150000	98, 50,000.00	
Ministry of Railways		125000		1, 25,000.00
National Capita Region Planning Board	al 5, 00, 00,000.00	25000	4, 99, 75,000.00	
Govt. of NCT o Delhi	f 12 , 50, 00,000.00	62500	12, 49, 37,500.00	
Govt. of Harya	na 12, 50, 00,000.00	62500	12, 49, 37,500.00	
Govt. of Rajast	han 12, 50, 00,000.00	62500	12, 49, 37,500.00	
Govt. of UP	12, 50, 00,000.00	62500	12, 49, 37,500.00	
TOTAL (RS)	56,00,00,000.00	5,50,000	55,95,75,000.00	1,25,000.00

For and on behalf of the Board

C K Khaitan Naini Jayaseelan DIN: 03171151 DIN: 01562512 (Managing Director) (Director)

44

"लेखा परीक्षक का स्वतंत्र रिपोर्ट"

—रू ग

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड

रू

हमने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड के वित्तिय विवरणों के साथ में लेखा परीक्षा की है। जिसमें 42 मार्च, 3125 के तुलन पत्र और लाभ का विवरण और उस तारिख तक समाप्त अवधि के लिए हानि और महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का संक्षिप्त विवरण और अन्य समन्वेषी सूचना को शामिल किया है।

विशिय विवरणों के लिए वन्धकीय जिम्मेदारी

प्रबन्धक इन वित्तिय विवरणों को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है जो वित्तीय स्थिति और कम्पनी अधिनियम के धारा 322 के उप—धारा (4 / कम्पनी के वित्तीय प्रदर्शन (अधिनियम) सच्ची और निष्पक्ष विचार देती है। जिसे कम्पनी अधिनियम 3124 के धारा 244 के संबंध में कंपनी कार्य मंत्रालय के दिनांक 24 सितम्बर, 3124 को आम परिपत्र 2603124 के अनुसार पढ़ा जाए और भारत में लेखांकन सिद्धांन्त के अनुसार आमतौर पर स्वीकार्य है। इस उत्तरदायित्व में तैयारी से सम्बन्धित आंतरिक नियंत्रण की रुपरेखा, क्रियान्वयन और रखरखाव शामिल है और वित्तिय विवरणों का प्रस्तुतिकरण जो सच्ची और निष्पक्ष विचार देता है और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण तथ्य के अशुद्ध विवरण से मुक्त है।

लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तिय विवरणों पर राय व्यक्त करना है। हम भारतीय सनदी लेखांकन संस्थान के द्वारा जारी किए गए लेखा परीक्षण के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा को संचालित किया। उन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक जरुरतों एवं योजना का पालन किया है और उसके बारे में उचित अश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा का प्रदर्शन करना जहाँ वित्तिय विवरण के तथ्य के अशुद्ध विवरण से मुक्त है। लेखा परीक्षा में राशि के बारे में लेखा परीक्षा का साक्ष्य हासिल करने के लिए प्रक्रियाओं के प्रदर्शन और वित्तिय विवरण का स्पष्टीकरण शामिल है। चयनित प्रक्रियायें लेखा परीक्षकों के निर्णय निर्भर करता है। जिसमें वित्तिय विवरणों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण तथ्य के अशुद्ध विवरण के जोखिम का आकलन समाहित है। उन जोखिम के आकलन को बनाने में, लेखा परीक्षक कम्पनी बनाने में प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण और लेखा परीक्षा की रुपरेखा बनाने के क्रम में वित्तिय विवरण के निष्पक्ष तैयारी

"INDEPENDENT AUDITORS' REPORT"

To,

The Shareholders.

NATIONAL CAPITAL REGION TRANSPORT CORPORATION LIMITED

Report on the Financial Statements

We have audited the accompanying financial statements of NATIONAL CAPITAL REGION TRANSPORT CORPORATION LIMITED which comprises of the Balance Sheet as at 31st March, 2014 and the Statement of Profit and Loss for the period ended on that date and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position and financial performance of the Company in accordance with the Accounting Standards referred to in sub-section (3C) of section 211 of the Companies Act, 1956 "the Act") read with the General Circular 15/2013 dated 13th September, 2013 of the Ministry of Corporate Affairs in respect of Section 133 of the Companies Act, 2013 and in accordance with the accounting principles generally accepted in India. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and

पर विचार करते हैं। जो परिस्थिति में उपयुक्त है। लेकिन कम्पनी के आंतरिक नियंत्रण के प्रभावशीलता पर विचार व्यक्त करने के उद्देश्य के लिए नहीं। लेखा परीक्षा का इस्तेमाल लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने और प्रबंधक द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगतता के साथ साथ वित्तिय विवरणों का समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी शामिल है।

हमारा विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखा परीक्षा का साक्ष्य हमारे लेखा परीक्षा के लिए आधार प्रदान करने के लिए प्रयाप्त और उपयुक्त है।

अनुमान

- (Ò हमारे अनुमान और हमारे बेहतरीन संज्ञान में और हमें प्रदान किये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, वित्तिय विवरण अधिनियम के माध्यम से दिये गये आवश्यक सूचना इस मायने में इसलिए आवश्यक है और भारत में लेखांकन सिद्धांत के अनुरुप सच्ची और निष्पक्ष मत देना आमतौर पर स्वीकार है। खातों में टिप्पणी के अधीन टिप्पणी सं. 3 बैलेंस शीट में संलग्न है।
- (क्रें) बैलेस शीट का मामला में, 42 मार्च, 3125 के कम्पनी राज्य कल्याण ।
- (ण) लाभ और हानि के विवरण की स्थिति में, उस तारीख की समाप्त अवधि के लिए कम्पनी का घाटा।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

- 2 ळ रू 3114 (आदेश) कम्पनियों के लिये (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आवश्यक है। हमने आदेश के अनुच्छेद 5 और 6 में निर्दिष्ट विषय पर संलग्नक टिप्पणी दिया है। अधिनियम के धारा 338 उप—धारा (5 केन्द्रीय भारत सरकार
- 3. ण रू ण 338 (4 ण्रू —रू रु ठ रू कि हमने तमाम जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किया है जो लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए हमारे सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुरुप आवश्यक था।
- इ) जहाँ तक उन पुस्तिकाओं के हमारे परीक्षण प्रतीत होता है कि हमारी राय में विधि द्वारा आवश्यक समुचित लेखा पुस्तिका कम्पनी द्वारा रखा गया है ।
- ब) इस रिपोर्ट में निर्दिष्ट लाभ और हानि का बैलेंस शीट और विवरण लेखा पुस्तिका के समझौते में है।

perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of

the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Company's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India subject to notes to accounts given in Note No. 2 attached to the Balance Sheet.

- (i) In the case of the Balance Sheet, the State of affairs of the Company as at 31st March,2014.
- ii) In the case of the Statement of Profit and Loss, the Loss of the company for the period ended on that date.

- क) कम्पनी अधिनियम 2:67 के धारा 3224 ं निर्दिष्ट लेखा मानकों के अनुरूप 42 मार्च 3125 को कम्पनी के लाभ और हानि के बैलेंस शीट और विवरण हमारी राय में कम्पनी अधिनियम 3124 के धारा 244 के संदर्भ में कंपनी मामले के मंत्रालय की दिनांक 24 सितम्बर, 3124 के जनरल सर्कुलर 2603124 के साथ पढ़ा जाए।
- म)
 42 मार्च, 3125 को निदेशकों से प्राप्त लिखित निरुपण के आधार पर निदेशक मंडल द्वारा लिया गया। हम रिपोर्ट करते हैं कि कम्पनी अधिनियम 2:67 की धारा 3852
 42 मार्च, 3124 को कम्पनी में निदेशक के रुप में नियुक्त किये गये इस तरह के किसी भी निदेशक को अयोग्य नहीं ठहराया जाता है।

सारिया गुप्ता – कम्पनी सनदी लेखाकार

(सुमित गुप्ता) स. सं. **624432**

स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 22.23.3125

सहभागी

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

- As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2003 ("the Order") issued by the Central Government of India in terms of subsection (4A) of section 227 of the Act, we give in the Annexure a statement on the matters specified in paragraphs 4 and 5 of the Order
- 2. As required by section 227(3) of the Act, we report that:
- a) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of audit.
- b) In our opinion, proper books of account, as required by law, have been kept by the company so far as appears from our examination of those books.
- c) The Balance Sheet and Statement of Profit and Loss referred to in this report are in agreement with the books of accounts.
- d) In our opinion, the Balance Sheet and Statement of Profit and Loss of the Company as at 31st March, 2014, comply with the accounting standards referred to in Section 211(3C) of the Companies Act, 1956 read with the General Circular 15/2013 dated 13th September, 2013 of the Ministry of Corporate Affairs in respect of Section 133 of the Companies Act, 2013.

On the basis of written representation received from the directors as on 31st March, 2014 and taken on record by the Board of Directors, we report that none of the such directors is disqualified as on 31st March, 2014 from being appointed as a Director of the Company in terms of Section 274(1)(g) of the Companies Act, 1956.

FOR SARIA GUPTA & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS

Place: New Delhi. Dated: 11.12.2014

(SUMIT GUPTA)
PARTNER
M. NO. - 513321
Firm Reg. No.003168N

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के सदस्यों को लेखा परीक्षकों की यहाँ तक की तारीख की रिपोर्ट अनुच्छेद 2 के संलग्नक में उल्लिखित किया गया।

42 मार्च, 312¢ को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लेखे को सीमित किया गया

2. ट ्र रू / लागू नहीं है।

4. ट ण रू णारा
412 के तहत बनाये गयें रिजस्टर में शामिल कम्पनियों, फर्म या अन्य पार्टियों के लिए सुरक्षित और असुरक्षित किसी प्रकार का ऋण मंजूर करने / लेने का अधिकार नहीं है।

5. कम्पनी में लागू किसी प्रकार की आंतरिक नियंत्रण आवश्यक नहीं है।

को कम्पनी अधिनियम 2:67 की धारा 412 के तहत बनाए गये रिजस्टर में दर्ज करने की जरुरत है इसलिए दर्ज किया गया है।

7. में प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने हमारे लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान जनता से कोई भी जमा स्वीकार नहीं किया है।

6.

9. / / े लागत के बारे में कम्पनी अधिनियम 2: 67 की धारा 31: (2 – रू रू अवेश 3114 (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) के अनुच्छेद 5 के खंड (अपपप) का प्रवधान कम्पनी के लिए लागू नहीं है।

ं. ध नहीं की है इसलिए कम्पनी के लिए यह खंड भी लागू नहीं है।

21. 42 मार्च, 3125 तक 2र्छ 1र्द्घ 13/: कम्पनी को हमारे लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान 3र्दे 2र्च 1770 रु रू नुकसान उठाना पड़ा ह

ANNEXURE REFERRED TO IN PARAGRAPH-1 OF THE REPORT OF EVEN DATE OF THE AUDITORS TO THE MEMBERS OF NATIONAL CAPITAL REGION TRANSPORT CORPORATION

LIMITED ON THE ACCOUNTS FOR THE PERIOD ENDED 31st, MARCH 2014

- ĈB The Company does not have any fixed assets, hence this clause is not applicable to the company.
- The Company does not have any inventory, hence this clause is not applicable to the company.
- According to information and explanation given to us, the Company has not granted/ taken any loans, secured and unsecured, to companies, firms or other parties covered in the register maintained under Section 301 of the Act.
- 4. The company has been incorporated during the year itself and none of the internal controls required under this clause are applicable to the company.
- According to the information and explanation given to us, we are of the opinion that the transactions that need to be entered into the register maintained under section 301 of the Companies Act, 1956 have been so entered.
- In our opinion and according to the information and explanations given to us, the company has not accepted any deposit from the public during the period covered by our audit.
- 7. None of the conditions to have an internal audit system are applicable to the company.
- 8. The Company is not Company covered under Section 209(1)(d) of the Companies Act, 1956 regarding the maintenance of cost records, therefore the provisions of clause (viii) of paragraph 4 of the Companies (Auditor's Report) Order, 2003 are not applicable to the company.

- 11- हमें दी गई जानकारी और सूचना के अनुसार कम्पनी ने किसी बैंक या वित्तिय संस्थान से किसी प्रकार का कर्ज नहीं लिया है। इसीलिए यह खंड कम्पनी के लिए लागू नहीं है।
- 12- हमारे विचार में कम्पनी ने शेयर, प्रतिभूतियों और अन्य सुरक्षा के माध्यम से सुरक्षा के आधार पर किसी प्रकार का कर्ज और अग्रिम मंजूर नहीं किया है।
- 13- चिट फंड पारंपरिक लाभ का कोष / सोसायटियों के लिए लागू किसी भी कानून का प्रावधान कम्पनी के लिए लागू नहीं है।
- 14- हमारे विचार में, कम्पनी शेयरों, प्रतिभूतियों, ऋणपत्रों एवं अन्य निवेशों में व्यापार या सौदा नहीं करता है।
- 15- हमारी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने बैंक और वित्तिय संस्थानों के अन्य माध्यम से लिए गये ऋण के लिए किसी प्रकार की गारंटी नहीं दी है।
- 16- कम्पनी ने किसी भी प्रकार का मियादी ऋण नहीं लिया है, इसिलिए कम्पनी के लिए यह खंड लागू नहीं है।
- 17- हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और कम्पने के बैलेंस शीट के समग्र जाँच के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि हमने दीर्घावधि के लिए लधु अवधि के आधार पर लिये गये ऋण का उपयोग नहीं किया है।
- 18- कम्पनी पार्टियों के शेयरों और अपने लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान कम्पनी अधिनियम की धारा 301 के तहत बनाये गये रजिस्टर में शामिल कम्पनियों का कोई भी अधिमान्य आवंटन नहीं किया गया है।
- 19- कम्पनी ने लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान कोई भी ऋणपत्र जारी नहीं किया गया है।
- 20- कम्पनी ने लेखा परीक्षा अवधि के दौरान जनता से किसी प्रकार का धन नहीं लिया है।
- 21- भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखा परीक्षा की पद्धतियों के अनुसार किये गये खाता पुस्तिका की हमारी जाँच के दौरान हम पर या कम्पनी पर न तो किसी प्रकार की धोखाधड़ी में शामिल पाया गया है और न ही हमें प्रबंधन के द्वारा इस प्रकार के किसी मामले में सूचित किया गया है।

सारिया गुप्ता – कम्पनी सनदी लेखाकार

cd-

(सुमित गुप्ता) सहभागी

स. सं. 513321

स्थानः नई दिल्ली

दिनांक:11-12-2014

- 9. That the company has not started any activities during the year, hence this clause is also not applicable to the company.
- 10. The company has accumulated losses of Rs.1,80,402/- as on 31st March, 2014 and the company has incurred a cash loss of Rs. 2,61,066/- during the period covered by our audit.
- 11. According to information and explanation given to us, the company has not taken any loan from the any bank or financial institution. Hence, this clause is not applicable to the company.
- We are of the opinion that the Company has not granted any loans and advances on the basis of security by way of pledge of shares, debentures and other securities.
- 13. The provisions of any statute applicable to chit fund/ Nidhi/ mutual benefit fund/ societies are not applicable to the company.
- 14. In our opinion, the company is not dealing in or trading in shares, securities, debentures and other investments.
- 15. According to, the information and explanation to us, the company has not given any guarantee for loans taken by others from banks & financial institutions.
- 6. The company has not taken any term loan, hence this clause is not applicable to the company.
- 17. According to information and explanation given to us, and overall examination of the Balance sheet of the Company, we report that no funds raised on short term basis have been used for Long Term investment.
- 8. The company has not made any preferential allotment of shares to parties and companies covered in register maintained under 301 of the Companies Act, during the period covered by our audit.
- 19. The Company has not issued any debentures during the period covered by our audit.
- 20. The company has not raised any money by public issued during the period covered by our audit.
- 21. During the course of our examination of the books of accounts carried out in accordance with generally accepted auditing practices in India, we have neither come across any incidence of fraud on or by the company nor have we been informed of any such case by the management.

FOR SARIA GUPTA & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS

(SUMIT GUPTA)
PARTNER

M. NO. - 513321

Firm Reg. No.003168N

Place : New Delhi Dated: 11.12.2014



संख्या / PDCA-I/ND/CHQ/29-32/2014-15/737

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग, कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदसय, लेखापरीक्षा बोर्ड-1

दिनाँक/ 31-12-2014

सेवा में.

प्रबन्ध निदेशक, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रान्सपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड एन.सी.आर. प्लानिंग बोर्ड (M_0UD) , कोर $-_{IV}$ बी, पहली मंजिल, इंडिया हैबिटेट सैन्टर, नर्ड दिल्ली - 110003

विषयः कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अधीन 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल कैपिटल रीजन ट्रान्सपोर्ट कार्पोशन लिमिटेड के लेखाओं पर भारत के नियत्रंक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोत्य

इस पत्र के साथ नेशनल कैपिटल रीजन ट्रान्सपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लेखाओं की कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) जाने का प्रमाणपत्र संलग्न किया जाता हैं।

कपया इस पत्र की पावती भेंजे ।

भवदीय,

संलग्नः उपरोक्त

(विमलेन्द्र पटवर्धन) प्रधान निदेशक

तुतीय तल, ए-स्कन्ध, इन्द्रप्रस्थ भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 619(4) OF THE COMPANIES ACT, 1956 ON THE ACCOUNTS OF NATIONAL CAPITAL REGION TRANSPORT CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2014

The preparation of financial statements of NATIONAL CAPITAL REGION TRANSPORT

CORPORATION LIMITED for the year ended 31st March, 2014 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 1956 is the responsibility of the management of the Company. The Statutory Auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 619(2) of the Companies Act 1956 are responsible for expressing opinion on the financials statements under section 227 of the Companies Act 1956 based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed by their professional body, the Institute of Chartered Accountants of India. this is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 11 December, 2014.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have decided not to review the report of hte Statutory Auditors on the Accounts of National Capital Region Transport Corporation Limited for the year ended 31st March 2014 and as such have no comments to make under section 619 (4) of the Companies Act 1956.

For and on behalf of the Comptroller and Auditor General of India

Place: New Delhi (Vimlendra Patwardhan)

Date: 31st December, 2014 Principal Director of Commercial Audit

& Ex-Officio Member, Audit Board - I, New Delhi

55

